न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 89 / 2023

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
घांची समाज श्मशान घाट बालोतरा जरिये वर्तमान अध्यक्ष, राणाराम पुत्र नगाराम घांची निवासी– आंगडिया गली, बालोतरा		1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पचपदरा जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 05.01.2023 जो उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 156 / 2022 अनवान घांची समाज श्मशान घाट बालोतरा जरिये वर्तमान अध्यक्ष, राणाराम बनाम राज0 राज्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सुखदेव पटेल, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राज. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28 मई, 2025

अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 156 / 2022 अनवान घांची समाज श्मशान घाट बालोतरा जरिये वर्तमान अध्यक्ष, राणाराम बनाम राज0 राज्य में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2023 के विरूद्ध दिनांक 19.09.2024 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करते हुए यह कथन किया कि आलौच्य आदेश दिनांक 5.1.2023 को पारित हुआ था, मगर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका लम्बित थी एवं उक्त याचिका में प्रार्थी अपीलार्थी सहित विभिन्न पक्षकारों को स्थगन आदेश प्राप्त था एवं उक्त जनहित याचिका का निर्णय दिनांक 3.5.2023 को हुआ। उक्त प्रकरण की जानकारी समाज को नहीं थी, बाद में समाज की मीटिंग में जानकारी होने पर अपील पेश करने का निर्णय लिये जाने पर दस्तावेज प्राप्त

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

किये तथा बिना किसी विलम्ब के यह अपील प्रस्तुत की जा रही है अतः उक्त अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाकर मेरिट पर निर्णित करने का आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलान्ट की ओर से पेश धारा धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार करने योग्य है। अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जावें।

अपीलान्ट की ओर धारा 05 मियाद अधिनियम पर दोनों विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया गया जिसके आधार पर अपीलान्ट को अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एक जनहित याचिका संख्या 544/2022 सुमेरमल बनाम राज0 राज्य पेश हुई थी, जो सरहद मौजा बालोतरा में स्थित लूणी नदी के विभिन्न खसरा भूमि पर अतिक्रमण बताकर उन्हें हटाने के लिये पेश हुई, जिस जनहित याचिका में प्रार्थी ने भी पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस याचिका का निस्तारण दिनांक 3.5.2023 को हुआ। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रखा था। याचिका के लम्बित रहते और याचिका के निर्देशानुसार अपीलार्थी एवं अन्य समानार्थी पक्षकारों के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिसमें उनके समाज का श्मशान भूमि का विगत 80 वर्षो से दाह संस्कार हेतु उपयोग में लिये जाने का उल्लेख किया और वक्त सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा बिना जॉच पडताल किये उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी अंकन कर दिया गया, उक्त भूमि नदी सीमा के भीतर नहीं है। उक्त भूखण्ड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के ख0सं0 529, 747, 870, 950, 1106, 1741/982 के भाग पर कोई अतिक्रमण/अवरोध नहीं किया है लेकिन उक्त भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमांकन करते हुए भूखण्ड को नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त भूमि की राजस्व रेकर्ड में हुई गलत तरमीम को निरस्त करते हुए विवादित भूखण्ड को आबादी भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांक 5.1.2023 के द्वारा अस्वीकार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में जल्दबादी की एवं

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपलब्ध अभिकथनों व दस्तावेजों का सही से अवलोकन नहीं किया, ऐसे में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी श्मशान घाट को अधीनस्थ न्यायालय ने गैर मुमकिन नदी का भाग मानकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जबकि अपीलार्थी के द्वारा नदी के किसी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं किया और उक्त श्मशान घाट लगभग 80 वर्षो से अधिक समय से बना हुआ है जो समाज का एकमात्र श्मशान घाट है। सेटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा बिना जॉच पड़ताल के उक्त श्मशान की भूमि को गलत रूप से व बिना जॉच पड़ताल के सरकारी भूमि बताकर अपीलार्थी को अतिक्रमी बता दिया जो गलत व विधि के विपरित था। अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रकरण को सही से नहीं समझा और समाज की श्मशान भूमि को गैर मुमकिन नदी में बता दिया। इससे पूर्व उक्त भूमि बाबत अतिक्रमण होने का किसी विभाग ने न तो कोई नोटिस दिया और न ही उन्हें हटाने इत्यादि की कोई कार्यवाही की गई, मगर इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त श्मशान भूमि एवं लूणी नदी के बीच में स्वयं नगर परिषद, बालोतरा के द्वारा एक सड़क का निर्माण किया गया है, इससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि नदी का भाग ना होकर नदी से काफी ऊंचाई पर स्थित है, जबकि नदी की सीमा के भीतर सरकारी अस्पताल, अन्य बड़ी–बड़ी इमारते, गौशाला, भवन एवं दुकाने इत्यादि बने हुए है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिलीभगत व प्रभाव के कारण उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न करते हुए मात्र श्मशान घाट की भूमि को अतिक्रमण बताकर कार्यवाही शुरू कर दी गई, जो सरासर गैर कानूनी है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखे जाने योग्य नहीं हैं।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जनहित याचिका के लम्बित रहते विभिन्न पक्षकारान ने इस प्रकार के प्रार्थना पत्र पेश किये जिनमें इमारते, होटल, दुकानों की भूमि को अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी नहीं माना जबकि गैर कानूनी व मनमाने तरीके से प्रार्थी समाज के एकमात्र श्मशान को अतिक्रमण होना मानकर आदेश पारित किया गया हैं। सनातन काल से ही ऐसे श्मशान घाट नदी व तालाबों के किनारे होते आये है एवं अपीलार्थी के श्मशान घाट के अलावा और भी नदी के बाहरी व नदी किनारे स्थित हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की ओर से भी कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रार्थी का अतिक्रमण साबित हो। प्रथम व द्वितीय सेटलमेन्ट के वक्त हुई विभागीय गलती का खामियाजा प्रार्थी पक्ष को भुगताया जाना कतई

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायोचित नहीं है, परन्तु आनन–फानन में प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलान्ट ने वर्तमान भूमि को आबादी भूमि का भाग बताकर रिकार्ड दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके जवाब में भूमिधारक ने प्रथम सेटलमेन्ट के वक्त उक्त भूमि को आबादी भूमि होना स्वीकार किया मगर प्रथम एवं द्वितीय सेटलमेन्ट के वक्त पानी भराव की स्थिति के कारण रिकार्ड में परिवर्तन करना जाहिर किया है, परन्तु इस स्थिति को समझे बिना ही राजस्व भूमि पर अतिक्रमण होना मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो कानूनी एवं विधि के विपरित था। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.1.2023 को निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त भूखण्ड पर अपीलार्थी के द्वारा कब्जा करते हुए भूखण्ड का उपयोग दाह–संस्कार में उपयोग/उपभोग में लिया जा रहा है। उक्त भूखण्ड के स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के कारण तथा जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबन्ध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर भू प्रबन्ध एवं वर्तमान भू प्रबन्ध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेन्ट के ख0सं0 456 वर्तमान ख0सं0 870 गैर मुमकिन नदी है, का भाग होना बताया है जो रेकर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी थी। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यों के आधार पर आधारित होने से खारिज किया गया है जो यथावत रखा जावे।

हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर गहनता से चिंतन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश का बगौर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से उनके समाज के श्मशान घाट परिसर की भूमि जो कि गत सेटलमेन्ट के समय ख0सं0 456 गैर मुमकिन नदी तथा वर्तमान सेटलमेन्ट ख0सं0 870 गैर मुमकिन नदी की भूमि की राजस्व रेकर्ड व नक्शे में तरमीम शुद्धि करवाये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.05.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था तथा उसमें उल्लेखित किया गया था कि उनका उक्त भूमि पर लगभग 80 वर्षो से कब्जा है एवं इस भूमि का उनके द्वारा दाह–संस्कार में उपयोग/उपभोग में लिया जा रहा है। ऐसे में उक्त भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में नहीं माना जाकर आबादी भूमि में भूमि की तरमीम शुद्धि

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हेतु कथन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की बहस एवं अप्रार्थी राजकीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के आधार पर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को सारभूत तथ्य व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से खारिज किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत इस अपील के संलग्न भी ऐसे कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये गये है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो और अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का कोई ठोस आधार बनता हो। अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील को स्वीकार किये जाने तथा उल्लेखित भूखण्ड पर 80 वर्षो से उनके समाज के द्वारा श्मशान घाट का उपयोग लेने एवं काबिज चले आने के आधार पर तरमीम शुद्धि हेतु इस्तदुआ की गई है। धारा 131 एवं 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत सम्बन्धित खातेदार अपने खातेदारी की भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे के विगत इन्द्राजात का अंकन आगामी दस्तावेजों में नहीं हो सकने की जानकारी होने पर गत दस्तावेज एवं वर्तमान दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन कर तरमीम दुरूस्ती हेतु निवेदन किये जाने पर सक्षम अधिकारी के द्वारा रेकर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त तरमीम दुरूस्ती योग्य प्रकरण पाये जाने पर तरमीम दुरूस्ती संबंधी कार्यवाही हेतु प्रार्थना की जाती है।

अपीलान्ट के प्रकरण में वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदारी अधिकार सम्बन्धी ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और न ही इस न्यायालय के समक्ष पेश किया है। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.01.2023 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28 मई, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर